संख्या- 3/2021/666/12-3-2021-100(41)/2017टी.सी.।

प्रेषक

डा0 राम चन्द्र शुक्ल,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: ०१ जून, 2021**

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनबल एग्रीकल्चर योजना के रेनफेड एरिया डेवलेपमेण्ट कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू.सं./लेखा/आर0ए0डी0-11/2021-22/16-डी, दिनांक 19.05.2021 एवं पत्रांक-भू.सं./लेखा/आर0ए0डी0-83/वित्तीय स्वीकृति/2021-22/15-डी, दिनांक 19.05.2021 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नेशनल मिशन फार सस्टेनबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत संचालित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश के रूप में क्रमश: अनुदान सं0-11 के अन्तर्गत रू0-50.436 लाख एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत रू0 28.233 लाख की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	**मानक मद**	**वर्ष-2021-22 हेतु आर0ए0डी0 का प्राविधान (लाख रू0 में)**	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति (कें0 60)
अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण 102-मृदा संरक्षण 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0102-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट)	08-कार्यालय व्यय	**20.500**	0
	11-लेखन सामग्री	**25.460**	0
	15-गाडी अनु0	**55.710**	0
	27-सब्सिडी	**4854.360**	44.050
	42-अन्य व्यय	**101.570**	0.206
	44-प्रशिक्षण	**64.210**	1.728
	46-कम्प्यूटर क्रय	**9.670**	0
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	**30.960**	0
	58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	**15.000**	4.452
योग-		**5177.440**	**50.436**
अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना (रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट) स्पेशल कम्पोनेन्ट	08-कार्यालय व्यय	6.680	0
	11-लेखन सामग्री	12.150	0.068
	15-गाडी अनु0	23.360	0
	27-सब्सिडी	1557.270	27.013
	42-अन्य व्यय	30.210	0.708
	44-प्रशिक्षण	22.110	0.444
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	10.730	0
योग-		**1662.510**	**28.233**
महायोग		**6839.95**	**78.669**

(रू0 अठ्हत्तर लाख छाछठ हजार नौ सौ मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए तथा भारत सरकार से सहमति के अनुरूप किया जायेगा।

3- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव के अनुरूप एन0एम0एस0ए0 हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत निमयों के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति में उल्लिखित केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा।

5- स्वीकृति की जा रही धनराशि धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय में एम0एस0एम0ई0 तथा वित्त विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए जेम पोर्टल द्वारा किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

8- स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित कराने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

9- प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषि निदेशक का होगा।

10- अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।

10- स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

11- अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय/क्रय नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1 -149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/ दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020 -231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं के क्रय विषयक दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एव स्टोर परचेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आउटसोसिर्ंग के संबंध में जारी निर्देशों एवं वित्त/श्रम/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग विभाग द्वारा जारी सुसंगत नियमों का अनुपालन कर लिया गया है।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

15- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

16- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

17- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

18- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

19- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभाथ्र्ाी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के पत्र संख्या-1-11011/58/2013-डी0बी0टी0 दिनांक 25.2.2015 द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के अन्तर्गत नकद धनराशि व्यक्तिगत लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जाने का निर्देश दिया गया है। अत: स्वीकृत धनराशि का तद्नुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

20- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबेक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभाार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

21- उद्योग अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 17.10.1994 में एवं तत्क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2018/868/18-2-2017-2(एस0पी0)/2017, दिनांक 15.01.2018 द्वारा केन्द्रीयक्रत क्रय प्रणाली के अन्तर्गत मात्रा अनुबन्ध के अधीन मामलों में क्रेता विभाग के वित्तीय अधिकारों के स्तर को स्पष्ट करते हुए क्रय के लिए सीमायें निर्धारित की गयी है। अत: उपरोक्त का अनुपालन करते हुए यह स्पष्ट कर लिया जाये कि प्रश्नगत क्रय सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है तथा सम्बन्धित वस्तु उद्योग निदेशालय द्वारा निर्ाीत दर अनुबन्ध के अधीन नहीं आती है। उपरोक्तानुसार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायें।

22- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1 -149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/बी-1-196/दस- 2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/ 2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा शासनादेश सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2020/ बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 एवं शासनादेश सं0-3/2021/बी0-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0- 3/2021/666 (1)/12-3-2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- अपर कृषि निदेशक (भू.सं.), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12- संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।

13- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

14- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

15- शासनादेश की वेबसाइट **http://shasanadesh.up.nic.in** पर अपलोड करने हेतु।

16- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 राम चन्द्र शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है